कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 1229 / 12–1 दिनांक 24 / 10 /2020

सेवा में,

पत्रसंख्या 634
फाइल नं. CM.G
दिनांक 29/10/2020

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ढुण्डसिर शिवायल सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.566 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/43073/2019

सन्दर्भ :– उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक–1127 / X–3–20 / 1(128) / 2020 दिनांक–12.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन के द्वारा विषयक मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी की गयी है, उल्लेखित शर्तो के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1- शर्त संख्या–01 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मोटरमार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर पथ वृक्षारोपण हेतु मु0 11,60,000.00 धनराशि जमा करनी होगी।
2- शर्त संख्या–02 (क) के अनुपालन में एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.566 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 4,78,270.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

ईको–क्लास श्रेणी–	V
हरियाली का घनत्व–	0.50 MDF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0–	मु0 8,45,000.00 (आठ लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	0.566 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	0.566 हे0 X 8,45,000.00 = 4,78,270.00.

3- शर्त संख्या– 03 के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4- शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षायरोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित / जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से ही मान्य होगी।
5- शर्त संख्या–05 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6- शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करना होगा।
7- शर्त संख्या–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं करने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग को स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार होगा।
8- शर्त संख्या–08 में उपरोक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

9- **बिन्दु संख्या–09** के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर भी अपलोड की जानी होगी।

14/X/2020

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः–   /   दिनांकित

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी माणिकनाथ एवं कीर्तिनगर राजि को इस निर्देश के साथ कि वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुयें सभी शर्तो की अनुपालना पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।